राम भूल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(विनोद एस. भारद्वाज जे.)

विनोद एस. भारद्वाज से पहले, जे.

राम बहल- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और प्रतिवादी वगैराह

2019 का सी. आर. एम. - एम No. 34678

1 जून, 2022

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- भारतीय दंड संहिता एस. 482, **1860** के अन्तर्गत 420, 465, 468, 471, 120-बी, 323, 452, 427 प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोपो को खारिज करना। किराये दार ने जबरदस्ती प्रवेश किया। गार्ड की पिटाई करने और लोहे के गेट को तोडने के बाद, परिसर को धवस्त कर दिया। चारदीवारी और 25-30 पेड काटे। **जाँच के दौरान देखा गया कि याचिकाकर्ता/ किरायेदार ने पट्टा विलेख का पृष्ठ 1 बदल दिया और मकान मालिक/ शिकायतकर्ता के जाली हस्ताक्षर किए ।याचिकाकर्ता- पंजीकृत दस्तावेज का तर्क यानी पट्टा विलेख को वैधता के संबंध में प्राथमिकता दी जानी चाहिए- इसकी अवहेलना की गई ।बचाव पक्ष के बयान-** अनुभाग 482 दंड प्रकिया सहिंता **के तहत जांच नहीं की जा सकती- इस तरह की** कार्यवाही **जांच को पूर्व- खाली करने और मामले को पूर्व- निर्णय देने के बराबर होगी ।किसी भी संस्करण की शुद्धता का निर्धारण जांच एजेंसी द्वारा किया जाना है, न कि उच्च न्यायालय द्वारा ।अदालत को दस्तावेजों के संभावित मूल्य की जांच नहीं करनी चाहिए और दूसरे की तुलना में एक संस्करण को त्यागते हुए निष्कर्ष को दर्ज करना चाहिए- जब तक कि जांच लंबित है ।याचिकाएं खारिज कर दी गईं ।**

अभिनिर्धारित किया गया कि अनुभाग 482 दंड प्रकिया सहिंता के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के उद्देश्य से, न्यायालय को यह दिखाया जाना चाहिए कि आरोप, भले ही पूरी तरह से स्वीकार किए गए हों, एक आपराधिक मामला नहीं बनाते हैं ।जहाँ याचिकाकर्ता किसी न्यायालय से संस्करण में लगाए गए आरोपों के संभावित मूल्य को बचाव के रूप में तौलने का आग्रह करता है, वही तथ्य के प्रश्न में विवाद का पता लगाने में एक अभ्यास होगा ।उच्च न्यायालय, अनुभाग 482 दंड प्रकिया सहिंता के तहत अपनी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, सामान्य रूप से उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा और संबंधित संस्करणों की शुद्धता का पता लगाने और संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तावित संभावनाओं के आधार पर जांच का पूर्व निर्णय लेने का भार अपने ऊपर नहीं लेगा । अनुभाग 482 दंड प्रकिया सहिंता के तहत इस तरह का अभ्यास न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है । जांच एजेंसी द्वारा दोनों में से किसी भी संस्करण की शुद्धता का निर्धारण किया जाना बाकी है ।जाँच की गति, या जाँच में कमियों या जाँच के निर्देश के खिलाफ याचिकाकर्ता की आपत्तियाँ एक अदालत के लिए जाँच की प्रक्रिया के दौरान ही प्रथम सूचना रिपोर्ट आर. और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य सभी कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । इस तरह की अनुचित जल्दबाजी आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने से बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना होती है और यह न्यायालय को किसी मामले पर पूर्व- परिपक्व रूप से राय देने के लिए लुभाता है जब जांच अभी तक समाप्त नहीं हुई है ।यह पता लगाना उच्च न्यायालय का काम नहीं है कि जाँच एजेंसी द्वारा अपनी जाँच के दौरान कौन से सबूत एकत्र किए जा सकते हैं या एकत्र किए जाने चाहिए ।अपराध किया गया है या नहीं और ऐसी प्रकृति के मामले में अनुभाग 482 दंड प्रकिया सहिंता के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना है या नहीं, यह जांच पूरी होने के बाद ही देखा जा सकता है और अभियोजन पक्ष

द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए मांगे गए पूरे साक्ष्य/ सामग्री को एकत्र किया जाता है और अनुभाग 173 दंड प्रकिया सहिंता के तहत एक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में दायर किया जाता है।

(पैरा 23)

याचिकाकर्ता की ओर से सचिन जैन, अधिवक्ता और जशनदीप के. मान के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली।

अनमोल मलिक, डीएजी, हरियाणा।

हरकेश मनुजा, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए अधिवक्ता

विनोद एस. भारद्वाज। जे.

(1) यह सामान्य आदेश याचिकाकर्ता राम भूल सिंह द्वारा दायर उपरोक्त दो विविध याचिकाओं का निपटारा करेगा।सी. आर. एम. -एम. - 34678- 2019 ने भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420, 465, 468, 471 और 120- बी के तहत पुलिस स्टेशन राय, जिला सोनीपत में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 331 दिनांक 19. 08. 2019 (अनुलग्नक पी- 10) और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य सभी कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया है।

(2) दूसरी ओर, 2020 का सी. आर. एम. -एम. - 25541, जिला सोनीपत के पुलिस स्टेशन राय में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 452 और 427 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 227 को खारिज करने और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही की मांग करता है।

<u>मामले के तथ्य</u>

(3) चूंकि 2020 का सी. आर. एम. -एम. - 25541 उस प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित है जो समय से पहले दर्ज की गई थी, समय 07.06.2019 इसलिए उक्त मामले के तथ्यों को संक्षेप में संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है:-

"उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट वरुण गोयल पुत्र प्रदीप गोयल (सी. आर. एम. -एम. - 34678-2019 में शिकायतकर्ता- प्रतिवादी) की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पास राय में मुख्य सड़क पर 05 एकड़ भूमि है, जिसमें से 20,000 वर्ग फुट भूमि और भूतल को किराए पर लिया। मूल पट्टा समझौता दिनांक 31. 01. 2019 राय में पंजीकृत किया गया था और गार्ड को भूमि की सुरक्षा के लिए काम पर रखा गया था। हालाँकि, 06. 06. 2019 पर, गार्ड सोनू ने सूचित किया कि गोल्डन हट रेस्तरां के मालिक (अर्थात् राम भूल याचिकाकर्ता) ने जबरन जमीन में प्रवेश किया और जे. सी. बी. द्वारा पेड़ों को उखाड़ फेंका जो किराए के परिसर की सीमा के बाहर है।आरोप है कि मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि लगभग 25 साल पुराने पेड़ों और पौधों को बिना अनुमति के काट दिया गया था और यहां तक कि गार्ड को भी पीटा गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

(4) जहाँ तक 2019 के सी. आर. एम. -एम. - 3678- 2019 में आरोप का संबंध है, उसमें यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता प्रदीप गोयल गंगा देवी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सचिव हैं, जिसके पास 05 एकड़ भूमि है और शिकायतकर्ता ने उसी के कुछ हिस्से पर एक ढाबा बनाया था और भूतल पर 17500 वर्ग फुट की भूमि याचिकाकर्ता को 11 साल के लिए पट्टे पर दी थी, पट्टा संख्या 6241 दिनांक 28. 01. 2019 इस शर्त पर कि याचिकाकर्ता- अभियुक्त को प्रतिभूति के रूप में तीस लाख रुपये जमा करने होंगे और मासिक किराए के लिए छह लाख रुपये हर साल 5 प्रतिशत की वृद्धि के लिए जमा करने होंगे।विचाराधीन पट्टा 01. 06. 2019 से शुरू

होना था।यह आरोप लगाया जाता है कि पट्टा विलेख के अनुसार, याचिकाकर्ता-अभियुक्त को इमारत के तहखाने और छत पर कोई अधिकार नहीं था, लेकिन वह अस्थायी निर्माण कर सकता था।यह भी आरोप लगाया गया है कि मार्च, 2019 के महीने में याचिकाकर्ता-अभियुक्त ने प्रतिवादी-शिकायतकर्ता से पट्टा विलेख में उल्लिखित शर्तों में संशोधन के बारे में अनुरोध किया कि प्रतिवादी 11 साल की समाप्ति से पहले पट्टा विलेख को रद्द नहीं कर सकता है, जिस पर शिकायतकर्ता सहमत हो गया था और पट्टा विलेख संख्या 7172 दिनांकित 14.03.2019 के माध्यम से एक पूरक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था।उक्त परिशिष्ट के अनुसार, यह तय किया गया था कि यदि याचिकाकर्ता-अभियुक्त नियमित रूप से किराया देना जारी रखता है, तो उसे 11 साल की अवधि के लिए उक्त परिसर से बेदखल नहीं किया जाएगा और उसके बाद वह परिसर खाली करने का विकल्प चुन सकता है। आरोप है कि 06-06-2019 की रात लगभग 12 बजे, याचिकाकर्ता गार्ड को पीटने और फार्म के लोहे के गेट को तोड़ने के बाद जबरन परिसर में घुस गया, चारदीवारी को ध्वस्त कर दिया और फार्म के 25-30 पेड़ों को काट दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता का बेटा मौके पर पहुंचा और पुलिस को सूचित किया।एक शिकायतकर्ता को लिखित रूप में दिया गया और पुलिस अधिकारियों ने उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।यह आरोप लगाया जाता है कि पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के साथ सांठगांठ की और उन्हें मुक्त कर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ता फिर से फार्म पर पहुंच गया।पुलिस 676 में भारतीय दंड संहिता की धारा 323,427,452 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 227 दिनांकित 07.06.2019 दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ स्टेशन राय, जिला सोनीपत।यह आरोप लगाया गया है कि जाँच के दौरान, याचिकाकर्ता ने 14.03.2019 दिनांकित विलेख प्रस्तुत किया और यह देखा गया कि पट्टा विलेख पृष्ठ नम्बर 7172-1 पेज का शिकायतकर्ता के जाली हस्ताक्षर करने के बाद आदान-प्रदान किया गया था और इसमें यह दर्ज किया गया था कि विलेख संख्या 6142 दिनांकित 28.01.2019 खारिज कर दिया गया है और यह इस शर्त पर लिखा गया था कि पट्टे की अवधि 11 साल से बढ़ाकर 22 साल कर दी गई है और पांच करोड़ रुपये की निर्माण लागत प्रतिवादी-संख्या 2 शिकायतकर्ता द्वारा बढ़ाई जानी थी और मासिक किराया हर 3 साल के बाद 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10 रुपये से घटाकर 6,00,000 से 3,00,000/- कर दिया गया था।इसके अलावा, पहले के समझौते के तहत दिए जाने वाले 05 साल के अग्रिम चेक को मासिक आधार पर भुगतान किए जाने वाले चेक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।तहखाने, छत और शेष भूमि को भी पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में शामिल किया गया था और यह दर्ज किया गया था कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त को भूमि पर अस्थायी और स्थायी निर्माण करने की अनुमति दी गई थी।इस प्रकार यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त ने अवैध रूप से दस्तावेजों को जाली बनाने और शिकायतकर्ता की 05 एकड़ भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिए साजिश रची।

(5) संदर्भ की सुविधा के लिए, पार्टियों के वकील द्वारा दी गई दलीलों को 2019 के सी. आर. एम. -एम. -3678 से संदर्भित किया जाता है क्योंकि मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट बाद में दर्ज की गई थी और इसमें शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 के बेटे के कहने पर दर्ज किए गए पहले के मामले का भी विशिष्ट संदर्भ है।

याचिकाकर्ता द्वारा तर्क

(6) याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता गांव अस्वरपुर, 39, माइल स्टोन, जी. टी. रोड, तहसील राय, जिला सोनीपत में गोल्डन हट रिसॉर्ट्स के नाम और शैली के तहत व्यवसाय चला रहा है।यह आरोप लगाया जाता है कि विचाराधीन संपत्ति का स्वामित्व श्रीमती गंगा देवी एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी और एक पट्टा विलेख संख्या 6241 दिनांकित 30.01.2019 संयुक्त उप-पंजीयक, तहसील राय के समक्ष विधिवत निष्पादित किया गया था। गोल्डन हट रिसॉर्ट्स के नाम और शैली के तहत रेस्तरां/ढाबा खोलने के लिए 22 साल की अवधि के लिए पंजीकृत पट्टा विलेख संख्या 7172 दिनांक 14.03.2019 के माध्यम से उपरोक्त पट्टा विलेख में संशोधन किया गया था।पंजीकृत बिक्री विलेख (अनुलग्नक पी-1) और उसके तहत बनाई गई शर्तों का संदर्भ दिया

गया था और यह बताया गया था कि याचिकाकर्ता को शुरू में 11 साल की अवधि के लिए मुख्य द्वार/ प्रवेश द्वार का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी ।आई. डी. 1 पर पंजीकृत पूरक पट्टा विलेख की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया और तर्क दिया गया कि उक्त पंजीकृत पूरक पट्टा समझौते के प्रत्येक पृष्ठ पर दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं ।पक्षकार और संयुक्त उप- पंजीयक द्वारा भी सत्यापित किया जाता है ।यहाँ तक कि पूरक समझौते के पंजीकरण की तारीख पर शिकायतकर्ता की तस्वीर भी ली गई थी ।यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरी ओर शिकायतकर्ता ने संलग्न समझौते अनुबंध आर- 2/ 5 दिनांकित 14. 03. 2019 को जोड़ा है, जिसमें से दूसरा पृष्ठ (प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण का आधार), सोनीपत में संयुक्त पंजीयक, राय द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है ।इस प्रकार उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 2- शिकायतकर्ता ने स्वयं यह फर्जी दस्तावेज तैयार किया है जिसे न तो संयुक्त उप- पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और न ही संयुक्त उप- पंजीयक द्वारा पंजीकृत या हस्ताक्षरित/ मुहर लगाई गई थी। शिकायतकर्ता ने इस जाली दस्तावेज के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनका तर्क है कि ऐसे किसी भी दस्तावेज को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है जो अपंजीकृत हो और वर्ष 2019 में प्राथमिकी दर्ज करने के अलावा, रिकॉर्ड में या जांच एजेंसी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि याचिकाकर्ता के साथ पट्टा विलेख संयुक्त उप- पंजीयक, तहसील राय, जिला सोनीपत के कार्यालय में पंजीकृत और उपलब्ध पट्टा विलेख से किसी भी तरह से भिन्न है ।उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि इस समय यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में दस्तावेज एक जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज है, यह देखते हुए कि उक्त दस्तावेज विधिवत उप- पंजीयक के रिकॉर्ड में परिलक्षित होता है और इसके सभी पृष्ठों पर संयुक्त उप- पंजीयक की मुहर होती है ।इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 2- शिकायतकर्ता द्वारा जिस दस्तावेज़ पर भरोसा किया गया है, वह संयुक्त उप- पंजीयक द्वारा प्रमाणित नहीं है ।एक अपंजीकृत दस्तावेज़ को संयुक्त उप- पंजीयक के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत दस्तावेज़ पर कोई पूर्व निर्णय या वरीयता नहीं दी जा सकती है ।यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता के पूर्वाग्रह के कारण पुलिस के साथ अपनी निकटता का दुरुपयोग कर रहा है और इस तरह के अवैध साधनों का सहारा लेकर पट्टे के नियमों और शर्तों के पुनर्निर्धारण की मांग कर रहा है।

(7) उन्होंने आगे कहा कि पट्टा समझौते और पूरक पट्टा समझौते के निष्पादन के बाद, याचिकाकर्ता ने रेस्तरां/ ढाबा की स्थापना का काम शुरू किया और नवीनीकरण के लिए 6 करोड़ रुपये का निवेश किया और मई, 2019 के महीने में उक्त काम पूरा किया ।हालाँकि, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता से अधिक धन उगाही करने के लिए अवैध तरीके से याचिकाकर्ता के कब्जे में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसने पहले ही भारी निवेश कर लिया था। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए "राम भूल बनाम गंगा देवी एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी और अन्य" शीर्षक से एक दीवानी मुकदमा दायर करना पड़ा ।उक्त मुकदमे की एक प्रति दिनांकित 06. 06. 2019 मुकदमाक पी- 3 के रूप में मुकदमा है ।मूल पट्टा विलेख और पूरक पट्टा विलेख का विवरण विधिवत था। उक्त दीवानी मुकदमा में उल्लिखित ।सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सोनीपत ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से मुकदमाकारों को मुकदमे की संपत्ति के कब्जे के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया और कहा कि यथास्थिति बनाए रखने का उक्त आदेश अभी भी जारी है ।कि प्रत्यर्थी संख्या 2 गंगा देवी एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी ने प्रदीप गोयल द्वारा से उस पट्टा विलेख को चुनौती देने के लिए विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की खंड 34, 37 और 39 के तहत स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के साथ घोषणा करने के लिए एक सिविल मुकदमा (अनुलग्नक पी- 6) भी स्थापित किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2- शिकायतकर्ता द्वारा सिविल मुकदमा में शिकायत के पैरा संख्या 9 में स्वीकार किया गया था कि 18. 03. 2019 पर पक्षों के बीच एक पूरक किराया समझौते को निष्पादित किया गया था। विचाराधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को 18. 06. 2019 पर और उसके पैराग्राफ No. 14 में स्थापित उक्त दीवानी मुकदमा में भी शामिल किया गया था और एक घोषणा की मांग की गई थी कि पट्टा विलेख संख्या 6241 दिनांकित 30.01.2019 और पूरक किराया विलेख संख्या 7172 दिनांकित 14- 03- 2019 (गलत तरीके से दिनांकित 18.03.2019 के रूप में उल्लिखित) अमान्य हैं और याचिकाकर्ता द्वारा पट्टे

की शर्तों के उल्लंघन के कारण प्रतिमुकदमी- मुकदमी संख्या 2 पर बाध्यकारी नहीं हैं और याचिकाकर्ता के खिलाफ पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के अलावा मुकदमा की संपत्ति का कब्जा लेने के लिए एक और निषेधाज्ञा की मांग की गई थी।

(8) उस 20. 06. 2019 (अनुलग्नक पी- 7) दिनांकित आदेश के माध्यम से अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), सोनीपत द्वारा यह देखा गया कि पंजीकृत दस्तावेज (पट्टा विलेख) प्रतिवादी (याचिकाकर्ता) के मुकदमा में है और चूंकि उक्त दस्तावेज जालसाजी के आधार पर चुनौती के अधीन है, इसलिए याचिकाकर्ता को मूल पट्टा विलेख दिनांक 30. 01. 2019 में उल्लिखित के अलावा सूट संपत्ति का कब्जा लेने से रोक दिया गया था और उसे सूट संपत्ति के लिए कोई भी निर्माण करने से रोक दिया गया था।

(9) विद्वान अधिवक्ता ने आगे आरोप लगाया है कि प्रतिवादी नंबर 2 ने नगरपालिका अधिकारियों के साथ मिलकर संपत्ति को सील कर दिया।उक्त प्रक्रिया में, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता को स्वीकृत भवन योजनाओं के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बिना किसी सूचना के विभिन्न नोटिस प्राप्त किए गए थे।इस प्रकार याचिकाकर्ता को "गोल्डन हट रिज़ॉर्ट बनाम हरियाणा राज्य" शीर्षक से 2019 का सी. डब्ल्यू. पी. No. 18339 दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें नगर निगम को दिनांक 09. 07. 2019 के आदेश के अनुसार निर्माण को हटाने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोक दिया गया था।इस प्रकार वह तर्क देता है कि प्रतिवादी- शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता पर विबाध्यता बनाने और याचिकाकर्ता के लिए आर्थिक विबाध्यता में डालने के लिए दुर्भावनापूर्ण इरादे और शरारती सामग्री के साथ कई प्रयास किए गए हैं। उसे पूरक पट्टा विलेख के अनुसार सहमत शर्तों से भिन्न शर्तों के लिए सहमत करें।

(10) यह भी जोरदार तर्क दिया गया है कि मुकदमों के बीच दो दीवानी मुकदमे पहले से ही लंबित हैं, जिसमें प्रतिवादी- शिकायतकर्ता द्वारा घोषणा की मांग के लिए अपने मुकदमे में धोखाधड़ी/ जालसाजी का मुद्दा उठाया गया है और देरी के बाद आपराधिक कार्यवाही शुरू करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।उन्होंने आगे तर्क दिया है कि विचाराधीन अपराधों को तत्काल याचिका में नहीं बनाया गया है क्योंकि भले ही याचिकाकर्ता का सबसे अच्छा मामला स्वीकार किया जाता है, यह केवल पक्षों के बीच किराए की दर और किराए के भुगतान के तरीके और तरीके से संबंधित विवाद है।यह विवाद में नहीं है कि विचाराधीन परिसर याचिकाकर्ता को पट्टे पर दिया गया था और याचिकाकर्ता को विचाराधीन संपत्ति में प्रवेश करने और बाहर निकलने का पूरा अधिकार था।इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार जब याचिकाकर्ता को पंजीकृत दस्तावेज के तहत परिसर में प्रवेश करने का अधिकार हो जाता है, तो संपत्ति में अतिक्रमण का अपराध नहीं किया जा सकता था।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 227 दिनांकित 06. 07. 2019 के आधार पर लगाए गए आरोप के अनुसार, याचिकाकर्ता पर भूमि पर प्रवेश करने का आरोप है। भारतीय दंड सहिता की अनुभाग 452 के प्रावधान का संदर्भ देते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि भूमि 'भवन' की परिभाषा के भीतर नहीं आ रही थी और अनुभाग 452 के तहत इस तरह का अपराध नहीं बनाया गया है।उन्होंने आगे भारतीय दंड सहिता की अनुभाग 442 की ओर ध्यान आकर्षित किया है जो घर में अतिक्रमण को परिभाषित करती है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुल भूमि को 'भवन' 'तम्बू' या 'पोत' के रूप में खंडीकृत नहीं किया जा सकता है जिसका उपयोग रहने के लिए किया जा रहा है और इसकी अनुपस्थिति में में यह घर में अतिचार की परिभाषा के अंतर्गत आता है, अनुभाग के अन्तर्गत भारतीय दंड सहिता की धारा 452 के तहत अपराध आकर्षित नहीं होता है।याचिकाकर्ता के पट्टेदार होने के कारण उसे विचाराधीन संपत्ति में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सका।वह आगे प्रस्तुत करता है कि किसी भी प्रकृति का कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता है कि कोई भी पेड़ या पौधे कभी भी भूमि पर खड़े थे।इसके अलावा, यह बताने के लिए भी कोई सबूत नहीं है कि किसी भी कथित घटना में किसी व्यक्ति को कोई चोट लगी थी।इसकी पुष्टि करने के लिए कोई चिकित्सा रिकॉर्ड नहीं है और विचाराधीन प्राथमिकी केवल याचिकाकर्ता को परेशान करने और जमीन

खाली करने के लिए दबाव डालने के लिए दर्ज की गई थी, यह जानते हुए कि याचिकाकर्ता ने रेस्तरां की स्थापना के लिए 6 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है, उसके पास प्रतिवादी की अवैध मांगों को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

(11) विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि किराया अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही में भी, हरियाणा शहरी (किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1973 की अनुभाग 13 (2) (i) के संदर्भ में अस्थायी किराया संपत्ति का अस्थायी किराया है जिसमें 680 है।अपीलकर्ताकर्ता प्राधिकरण, सोनीपत द्वारा दिनांकित 01. 04. 2021 के निर्णय के माध्यम से प्रति माह रु. 3,00,000 का आकलन किया गया है और इस प्रकार पंजीकृत पूरक पट्टा विलेख को उक्त कार्यवाही में भी एक वैध और लागू करने योग्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है।इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नागरिक विवाद को गलत तरीके से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए आपराधिक कार्यवाही का स्वाद दिया गया है।

<u>प्रतिवादी द्वारा तर्क</u>

(12) विचाराधीन याचिका का आधिकारिक प्रतिवादी ने विरोध किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि विचाराधीन मामले की जांच चल रही है और जांच एजेंसी द्वारा पूरी तरह से, निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की जा रही है।प्रत्यर्थी- पक्षों द्वारा दायर उत्तर के निम्नलिखित उद्धरण का संदर्भ दिया गया हैः

"XX XX XX XX XX XX

वर्तमान मामले के शिकायतकर्ता का बेटा वरुण गोयल।उक्त मामले की जाँच के दौरान, याचिकाकर्ता ने विलेख सं. 7172 दिनांकित 14. 03. 2019, जिसके अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने राम कुवर की मिलीभगत से उक्त पट्टे के एक पत्ते को अपने (शिकायतकर्ता) नकली हस्ताक्षरों से बदल दिया।उक्त जाली पट्टा विलेख में, पिछला विलेख सं। 6241 दिनांकित 28. 01. 2019 को खारिज किया गया दिखाया गया है और इस शर्त पर उल्लेख किया गया है कि पट्टे की अवधि को 11 साल से बढ़ाकर 22 साल कर दिया गया है और रूप्ये निर्माण के लिए शिकायतकर्ता को 5 करोड़ रुपये खर्च करने थे और किराए की दर घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। 3 लाख से रु। 6 लाख रूप्ये प्रति माह और यह भी जोड़ा गया है कि ब्याज हर तीन साल के बाद 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाएगा और याचिकाकर्ता द्वारा किराए के लिए भुगतान किए गए 60 चेक वापस कर दिए जाएंगे और किराए का भुगतान 3 लाख रुपये तक किया जाएगा 3 लाख रूप्ये प्रति माह और शिकायतकर्ता की तहखाने, छत और शेष भूमि को भी पट्टा विलेख में शामिल किया गया था और शेष भूमि पर सभी प्रकार के निर्माण से संबंधित शर्तों को भी शामिल किया गया था।शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उपरोक्त जाली दस्तावेज केवल उसकी संपत्ति हड़पने और उसके मूल्यवान अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए तैयार किया गया है और उपरोक्त जाली दस्तावेज के आधार पर, आरोपी ने अपनी संपत्ति पर अतिक्रमण करने की कोशिश की, जो कभी भी पट्टा विलेख का विषय नहीं था। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि आरोपी ने सहयोगियों के साथ मिलकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। उसने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया किराया से सम्बधित चैक भी बाउंस हो गया है। याचिकाकर्ता का भी अपमान किया गया है।इन आरोपों के साथ, शिकायतकर्ता ने उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।उपरोक्त शिकायत के आधार पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच शुरू की गई।

ए- कि जाँच के दौरान, 19. 09. 2019 पर शिकायतकर्ता जाँच में शामिल हो गया और उसका बयान दर्ज किया गया।उन्होंने पूरक पट्टा विलेख सं. 7172 दिनांकित 18. 03. 2019 और कहा कि पट्टा की शर्तों को पृष्ठ संख्या पर उनके जाली हस्ताक्षर चिपकाकर बदल दिया गया है।2 विलेख सं। 7172 दिनांकित 18. 03. 2019। शिकायतकर्ता ने उक्त विलेख के दूसरे पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया।उन्होंने किसी विशेषज्ञ द्वारा से अपने हस्ताक्षरों की जांच कराने की भी पेशकश की।19. 09. 2019 पर ही,

शिकायतकर्ता के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए सोनीपत के विद्वान क्षेत्र मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आवेदन दायर किया गया था और उसके बाद, 19. 09. 2019 पर अदालत परिसर में उनके नमूना हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे ।जाँच के दौरान, शिकायतकर्ता ने दिनांकित पूरक पट्टा विलेख की प्रति प्रस्तुत की और दावा किया कि उक्त विलेख के दूसरे पृष्ठ पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं और वे जाली हैं। इसके बाद, 18. 03. 2019 दिनांकित मूल पूरक विलेख तहसीलदार, राय, सोनीपत के कार्यालय से प्राप्त किया गया था ।जाँच के दौरान, बैंक खाता खोलने का फॉर्म नं. देना बैंक, दिल्ली में शिकायतकर्ता के 115810028653 को उनके नमूना हस्ताक्षरों के मिलान के उद्देश्य से प्राप्त किया गया था ।इसके बाद, उपरोक्त बैंक खाते का बैंक खोलने का प्रपत्र, तहसीलदार, राय से प्राप्त दिनांकित मूल विलेख और अदालत में प्राप्त शिकायतकर्ता के नमूना हस्ताक्षर पहले ही एफएसएल, मधुबन को 04. 12. 2019 पर मिलान करने के लिए भेजे जा चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट पहले ही प्राप्त हो चुकी है, जिसकी प्रति इसके साथ संलग्नक आर 1 के रूप में संलग्न है । जाँच एजेंसी द्वारा पूरी तरह से, निष्पक्ष और निष्पक्ष जाँच की जा रही है और सावधानीपूर्वक जाँच करके सच्चाई सामने लाई जाएगी।

बी- उस तत्काल मामले की अभी भी जांच चल रही है और केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना मामले का विश्वकोश नहीं है और यह जांच एजेंसी पर है कि वह मामले की जांच करे और उसके बाद अदालत में अंतिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे। याचिकाकर्ता के खिलाफ विशिष्ट और प्रत्यक्ष आरोप हैं और मामले की जांच अभी भी चल रही है और याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई दलीलें और विशुद्ध रूप से जांच के समापन के अधीन हैं और याचिकाकर्ता जांच एजेंसी द्वारा की जा रही जांच को विफल करने का हकदार नहीं है।''

(13) विद्वान अधिवक्ता ने एफ. एस. एल. की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है जो इस प्रकार है:-

> ''उपरोक्त विचलन प्रकृति में मौलिक हैं और प्राकृतिक विविधताओं और इच्छित प्रच्छन्नता की सीमा से परे हैं और जब सामूहिक रूप से विचार किया जाता है तो वे इस राय की ओर ले जाते हैं कि जिस व्यक्ति ने लाल संलग्न मानक हस्ताक्षर लिखे और A1 से A7, R1 से R4, S1 से S15 पर मुहर लगाई और चिह्नित किया, उसने लाल संलग्न प्रश्न हस्ताक्षर नहीं लिखा, जिस पर समान रूप से मुहर लगाई गई थी और Q1 को चिह्नित किया गया था।''

(14) यह तर्क दिया गया है कि विचाराधीन मामला अभी भी जांच के तहत लंबित है और तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल हैं। यह अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है कि विचाराधीन पट्टा विलेख के पत्ते को बदलने से कोई जालसाजी की गई है या नहीं ।जतिंदर सिंह, एच. पी. एस. , जिला मुख्यालय, सोनीपत द्वारा दिनांक 18. 06. 2020 पर दायर एक शपथ पत्र का भी संदर्भ दिया गया था जिसमें कहा गया था कि जांच अभी भी लंबित है और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तथ्य के विवादित प्रश्नों का निर्धारण किया जाना बाकी है ।याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करके जांच को विफल करना चाहता है।

(15) प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पेश हुए वकील ने भी अपने जवाब में आधिकारिक प्रतिवादी द्वारा शामिल किए गए कथनों पर भरोसा किया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को दोहराया है। उन्होंने जोरदार तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता तथ्य के विवादित प्रश्नों का संदर्भ दे रहा है जिनकी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की अनुभाग के अर्न्तगत 482 के तहत कार्यवाही के दौरान जांच नहीं की जा सकती है और तथ्यात्मक पहलू अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है ।वह आगे प्रस्तुत करता है कि मामले की अभी भी जांच चल रही है और दीवानी और आपराधिक कार्यवाही हमेशा एक साथ शुरू की जा सकती है ।याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कार्यों की आपराधिकता अलग और विशिष्ट है और याचिकाओं को प्रतिवादी द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दीवानी कार्यवाही की संस्था का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।वह आगे प्रस्तुत करता है कि घोषणा के लिए मुकदमे में, सिविल कोर्ट ने दूसरे/ पूरक किराया विलेख को मान्यता नहीं दी है और केवल निर्विमुकदमा पहले पट्टे के समझौते तक संरक्षण बढ़ाया है। दिनांकित 28. 01. 2019 इस प्रकार उन्होंने तर्क दिया है कि सिविल कोर्ट ने पूरक किराया विलेख को स्वीकार नहीं किया है ।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पूरक किराया विलेख के नियम और शर्तें पूरी तरह से भिन्न हैं

और उन्होंने एकतरफा रूप से नियमों और शर्तों को इस तरह से बदल दिया है कि समान मानसिकता वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी समझौते में लिखित रूप में समझौते में बताई गई प्रकृति की किसी भी चीज को शामिल करने के लिए सहमत नहीं होगा ।उन्होंने पूरक किराया विलेख पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त संदिग्ध परिस्थितियों के रूप में नीचे उल्लिखित परिस्थितियों पर प्रकाश डाला हैः- (i) अनुपूरक किराया विलेख एक पाठ देता है जिसके अनुसार शिकायतकर्ता स्वीकार करता है कि उसने पहले समझौते को निष्पादित करते समय याचिकाकर्ता के साथ धोखाधड़ी की थी ।यह तर्क दिया जाता है कि कोई भी समझदार व्यक्ति दस्तावेज़ पंजीकृत करते समय किसी भी धोखाधड़ी को स्वीकार या स्वीकार नहीं करेगा।

(ii) कि विचाराधीन किराया इस बहाने से आधा कर दिया गया है कि विचाराधीन क्षेत्र को कम कर दिया गया है, जबकि उसी पूरक किराया विलेख में यह कहा गया है कि वास्तव में क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

(iii) इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि किराया कम करने के लिए पूरक विलेख में दिया गया तर्क तथ्यात्मक रूप से गलत दावा है ।इसके अलावा, कोई भी समझदार व्यक्ति पट्टे पर दिए गए क्षेत्र को बढ़ाते हुए किराए में आधी कटौती नहीं करेगा।

(iv) 5 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि को भी हर 3 साल में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

(v) ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोई भी समझदार व्यक्ति 05 साल की अवधि के लिए दिए गए सभी अग्रिम किराए के चेक वापस कर देगा और इसके बजाय मासिक आधार पर भेजे जाने वाले अग्रिम चेक के लिए सहमत होगा।

(vi) प्रतिवादी पर निवेश किए जाने वाले 5 करोड़ रुपये के दायित्व का बोझ और बढ़ा दिया गया है ।ऐसा कोई कारण नहीं था कि प्रतिवादी किराए को आधा करते हुए किसी भी अतिरिक्त दायित्व को बढ़ाने के लिए सहमत होगा।

(vii) कि पूरक किराया समझौते के नियम और शर्तें एकतरफा रूप से याचिकाकर्ता के पक्ष में हैं और बिना किसी उचित कारण के शिकायतकर्ता के पूर्वाग्रह के लिए हैं और समझौते में उल्लिखित तर्क को जमीनी वास्तविकताओं से कोई समर्थन नहीं मिलता है।

विश्लेषण

(16) मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और याचिकाओं, संलग्न दस्तावेजों के साथ- साथ संबंधित पक्षों द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों को देखा है।

(17) याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया प्राथमिक मुद्दा यह है कि विचाराधीन विवाद मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति का है और आपराधिक मामले का पंजीकरण कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है ।याचिकाकर्ता द्वारा दायर मुकदमे और प्रतिमुकदमी- शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक घोषणात्मक मुकदमे के साथ- साथ प्रतिमुकदमी- शिकायतकर्ता द्वारा शुरू की गई बेदखली कार्यवाही पर भी रिलायंस को रखा गया था ।निश्चित रूप से, धोखाधड़ी और धोखाधड़ी से संबंधित मामले में, आम तौर पर नागरिक प्रकृति का कुछ तत्व होता है ।एम. कृष्णन बनाम विजय सिंह और अन्य 1 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि दीवानी और आपराधिक कार्यवाही एक साथ की जा सकती है ।दोनों मामलों का फैसला अलग- अलग मानदंडों को अपनाकर किया जाना है ।यह देखा गया कि जहां शिकायत में अपराध के लिए तथ्यात्मक आधार निर्धारित किया गया है, उच्च न्यायालय को आपराधिक

कार्यवाही को केवल इस आधार पर रद्द करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि विवरण के साथ एक सामग्री बताई गई है या वर्णित तथ्य पक्षों के बीच वाणिज्यिक या धन लेनदेन के अस्तित्व को प्रकट करते हैं।उक्त निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"4. संहिता की अनुभाग 482 की संहिता और दायरे से संबंधित इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और इस अभियोग का उल्लेख करने के बावजूद कि उच्च न्यायालय को प्रारंभिक चरण में कार्यवाही में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम करना चाहिए, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवादित आदेश पारित किया।ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित था कि चूंकि विवाद की प्रकृति मुख्य रूप से नागरिक प्रकृति की थी, इसलिए अपीलकर्ता को आपराधिक कार्यवाही का सहारा लेना उचित नहीं था।

5. इस तरह के सामान्य प्रस्ताव को स्वीकार करना कानून के प्रावधानों के खिलाफ होगा क्योंकि धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के सभी मामलों में, पूरे लेनदेन में, आम तौर पर नागरिक प्रकृति का कुछ तत्व होता है।हालाँकि, इस मामले में, आरोप दस्तावेजों की जालसाजी और ऐसे जाली दस्तावेजों के आधार पर लाभ प्राप्त करने के बारे में थे।कार्यवाही को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सका क्योंकि प्रतिवादी ने इस संबंध में दीवानी मुकदमा दायर किया था

12001(4) आर. सी. आर. सी. आर. एल. 405

उपरोक्त दस्तावेज।दीवानी अदालत द्वारा निर्णय दिए जाने के बावजूद, आपराधिक अदालत में शिकायत में लगाए गए आरोपों को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जाना चाहिए।यदि शिकायतकर्ता शिकायत में अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रहा, तो प्रतिवादी को आरोपमुक्त करने या दोषमुक्तिने का अधिकार था, लेकिन अन्यथा नहीं। यदि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए केवल किसी मुकदमे विचाराधीनता होने को आधार बनाया जाता है, तो बेईमान वादियों को, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की आशंका में, आपराधिक कार्यवाही शुरू होने के बाद या ऐसी कार्यवाही की प्रत्याशा में उनके खिलाफ उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में मुकदमा दायर करके न्यायाधीश और कानून के पाठ्यक्रम को विफल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।इस तरह का पाठ्यक्रम कानून का अधिदेश नहीं हो सकता है।दीवानी कार्यवाही, जैसा कि आपराधिक कार्रवाई से अलग है, को अलग-अलग मानदंडों को अपनाकर न्यायनिर्णित और समाप्त किया जाना चाहिए।आपराधिक मामले में उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी दीवानी कार्यवाही में लागू नहीं होती है, जिसका निर्णय केवल शिकायत किए गए कृत्यों के संबंध में संभावनाओं के आधार पर किया जा सकता है।उच्च न्यायालय का यह कहना किसी भी तरह से उचित नहीं था:"मेरे विचार में, जब तक और जब तक दीवानी अदालत इस सवाल का फैसला नहीं करती कि क्या दस्तावेज़ असली है या जाली है, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है और उसी को देखते हुए, वर्तमान आपराधिक कार्यवाही और संज्ञान लेना और प्रक्रिया जारी करना स्पष्ट रूप से गलत है।

6. जहाँ शिकायत में अपराध के लिए तथ्यात्मक आधार निर्धारित किए गए हैं, वहाँ उच्च न्यायालय को केवल इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि विवरण के साथ एक या दो तत्व नहीं बताए गए हैं या वर्णित तथ्य पक्षों के बीच वाणिज्यिक या धन लेनदेन के अस्तित्व को प्रकट करते हैं।"

(18) इसके अलावा, कमलादेवी अग्रवाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिलिखित कियाः

9. आपराधिक अभियोजन को प्रारंभिक चरण में केवल इसलिए विफल नहीं किया जा सकता है क्योंकि दीवानी कार्यवाही भी लंबित है ।हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्लीमेंट ।(1) एस. सी. सी. 335 राजेश बजाज बनाम राज्य में निर्णयों का उल्लेख करने के बाद दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 1992 (2) आर. सी. आर. (आपराधिक) 160 (अनुसूचित जाति) :1999 (3) एस. सी. सी. 259 ट्रिसन रसायन उद्योग अन्य राजेश अग्रवाल और अन्य में यह न्यायालय। [1999 (8) एससीसी 687:1999 (4) आर. सी. आर. (आपराधिक) 223 (एस. सी.) ने अभिनिर्धारित कियाः

2 2001 (4) आर. सी. आर. सी. आर. एल 522

" समय- समय पर यह न्यायालय यह इंगित करता रहा है कि अंतर्निहित, उच्च न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिकी या शिकायत को रद्द करना बहुत चरम सीमा तक सीमित होना चाहिए।

अपवाद (हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 सप ।(1) एस. सी. सी. 335 और राजेश बजाज बनाम दिल्ली राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 1999 (3) एस. सी. सी. 259।"

अंतिम संदर्भित मामले में इस अदालत ने यह भी बताया कि केवल इसलिए कि एक अधिनियम की नागरिक प्रोफ़ाइल है, इसे अपने आपराधिक संगठन से बदनाम करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।हम निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत करते हैंः

" 10. ऐसा हो सकता है कि वर्तमान शिकायत में वर्णित तथ्य एक वाणिज्यिक लेनदेन या धन लेनदेन को भी प्रकट करेंगे ।लेकिन यह मानने का शायद ही कोई कारण हो कि धोखाधड़ी का अपराध वाणिज्यिक और धन लेनदेन के दौरान किया गया था।

10. मेडचल केमिकल एंड फार्मा (पी) लिमिटेड बनाम. बायोलॉजिकल ई. लिमिटेड और अन्य, 2000 (2) एस. सी. सी. 269:2000 (2) आरसीआर (आपराधिक) 122 (एससी) इस न्यायालय ने फिर से स्थिति दोहराई और कहाः

" संहिता की अनुभाग 482 में परिकल्पित अंतर्निहित शक्ति के तहत शिकायत या आरोप पत्र को रद्द करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग एक नियम के बजाय एक अपवाद है और प्रारंभिक चरण में रद्द करने के मामले को दुर्लभ से दुर्लभतम के रूप में माना जाना चाहिए ताकि अभियोजन को बाधित न किया जा सके ।प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने के साथ गेंद को लुढ़कने के लिए तैयार किया जाता है और उसके बाद से कानून अपना काम करता है और कानून के प्रावधानों के अनुसार जांच होती है ।इस तरह का अधिकार क्षेत्र सीमित और प्रतिबंधित है और इसका अनुचित विस्तार न तो व्यावहारिक है और न ही आवश्यक है ।हालाँकि, यदि शिकायत के अवलोकन पर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि शिकायत या आरोप- पत्र में लगाए गए आरोप किसी भी अपराध का गठन या खुलासा नहीं करते हैं जैसा कि आरोप लगाया गया है, तो लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और स्थिति से निपटने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कानून के तहत आवश्यक है। हालाँकि, यह दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है और यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि

संहिता की अनुभाग 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, शिकायत की पूरी तरह से जांच शिकायत में लगाए गए आरोप के आधार पर की जानी चाहिए और उस स्तर पर उच्च न्यायालय को मामले में जाने या इसकी शुद्धता की जांच करने का अधिकार या अधिकार क्षेत्र है।शिकायत के सामने जो कुछ भी दिखाई देता है, उसे बिना किसी गंभीर जांच के ध्यान में रखा जाएगा।लेकिन अपराध को शिकायत पर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होना चाहिए। नागावा बनाम वीरन्ना शिवलिंगप्पा में टिप्पणियाँ कोंजलगी, (1976) 3 एस. सी. सी. 736 कानून के उपरोक्त कथन का समर्थन करता हैः

"(1) जहाँ शिकायत में लगाए गए आरोप या उसके समर्थन में दर्ज किए गए गवाहों के बयान उनके अंकित मूल्य पर लिए गए हैं, वे अभियुक्त के खिलाफ आत्यन्तिक रूप कोई मामला नहीं बनाते हैं या शिकायत किसी अपराध के आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करती है जो अभियुक्त के खिलाफ आरोप लगाया गया हैः

(2) जहाँ शिकायत में लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से हास्यास्पद तर्क और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं ताकि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर न पहुँच सके कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है;

(3) जज साहब द्वारा मनमौजी और मनमाने ढंग से जारी करने की प्रक्रिया में प्रयोग किए गए विवेकाधिकार का आधार या तो कोई सबूत नहीं है या ऐसी सामग्री है जो पूरी तरह से अप्रासंगिक या अस्वीकार्य है; और

(4) जहां शिकायत मौलिक कानूनी दोष से ग्रस्त है, जैसे कि मंजूरी की कमी, या कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिकायत की अनुपस्थिति में और इसी तरह।

हमारे द्वारा उल्लिखित मामले विशुद्ध रूप से उदाहरणात्मक हैं और आकस्मिकताओं को इंगित करने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश प्रदान करते हैं जहां उच्च न्यायालय कार्यवाही को खारिज कर सकता है।

11. लालमुनी देवी (श्रीमती) अन्य बिहार राज्य और अन्य, 2000 (1) आर. सी. आर. (आपराधिक) 228 (एससी) :2001 (2) एस. सी. सी 71 यह न्यायालय आयोजितः "इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि यदि शिकायत अपराध नहीं बनती है तो इसे रद्द किया जा सकता है।हालाँकि, यह भी तय किया गया कानून है कि तथ्य एक नागरिक दावे को जन्म दे सकते हैं और एक अपराध के बराबर भी हो सकते हैं।केवल इसलिए कि एक दीवानी दावा बनाए रखने योग्य है इसका मतलब यह नहीं है कि आपराधिक शिकायत को बनाए नहीं रखा जा सकता है।इस मामले में, तथ्यों पर, इस प्रथमदृष्टया स्तर पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक तुच्छ शिकायत है।उच्च न्यायालय यह नहीं कहता है कि तथ्यों पर कोई अपराध नहीं बनता है।यदि ऐसा है, तो केवल इस आधार पर कि यह एक दीवानी गलती थी, आपराधिक अभियोजन को रद्द नहीं किया जा सकता था।

12. दोबारा विजय सिंह एम. कृष्णन बनाम विजय सिंह और अन्य एन. आर. (2001 की दाण्डिक अपीलीय सं 1028 पर निर्णय लिया गया 11. 10. 2001 :2001 (4) आर. सी. आर. (आपराधिक) 405 (एस. सी.) इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संहिता की अनुभाग 482 संहिता के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय को प्रारंभिक चरण में कार्यवाही में हस्तक्षेप करने में धीमा होना चाहिए और केवल इसलिए कि विवाद की प्रकृति मुख्य रूप से नागरिक प्रकृति की है, आपराधिक अभियोजन को रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि जालसाजी और धोखाधड़ी के

मामलों में हमेशा नागरिक प्रकृति का कुछ तत्व होता है ।एक ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ने आरोप लगाया कि पक्षों के बीच लेन- देन नागरिक प्रकृति का है और आपराधिक अदालत शिकायत के साथ आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि जाली दस्तावेज होने का तथ्य दीवानी अदालत में लंबित था, अदालत ने कहाः

"इस तरह के सामान्य प्रस्ताव को स्वीकार करना कानून के प्रावधान के खिलाफ होगा क्योंकि धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के सभी मामलों में, पूरे लेनदेन में, आम तौर पर नागरिक प्रकृति का कुछ तत्व होता है ।हालांकि, इस मामले में, दस्तावेज की जालसाजी और ऐसे जाली दस्तावेजों के आधार पर लाभ प्राप्त करने के आरोप थे ।कार्यवाही को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सका क्योंकि प्रतिवादी ने उपरोक्त दस्तावेजों के संबंध में दीवानी मुकदमा दायर किया था। दीवानी अदालत द्वारा निर्णय दिए जाने के बावजूद, आपराधिक अदालत में शिकायत में लगाए गए आरोपों को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जाना चाहिए ।यदि शिकायतकर्ता शिकायत में अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रहा, तो प्रतिवादी को आरोपमुक्त करने या दोषमुक्तिने का अधिकार था, लेकिन अन्यथा नहीं ।यदि केवल किसी मुकदमे विचाराधीनता होने को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक आधार बनाया जाता है, तो बेईमान मुकद मियों को, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की आशंका में, न्यायाधीश के पाठ्यक्रम को विफल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के बाद या ऐसी कार्यवाही की प्रत्याशा में उनके खिलाफ उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में मुकदमा दायर करके कानून ।इस तरह का पाठ्यक्रम कानून का अधिदेश नहीं हो सकता है ।दीवानी कार्यवाही, जैसा कि आपराधिक कार्रवाई से अलग है, को अलग- अलग मानदंडों को अपनाकर न्यायनिर्णित और समाप्त किया जाना चाहिए ।आपराधिक मामले में उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी दीवानी कार्यवाही में लागू नहीं होती है, जिसका निर्णय केवल शिकायत किए गए कृत्यों के संबंध में संभावनाओं के आधार पर किया जा सकता है ।(19) इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महेश चौधरी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के फैसले में को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"14. यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि बहुत ही असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, अदालत आरोपी द्वारा अपने बचाव के समर्थन में किसी भी दस्तावेज पर भरोसा नहीं करेगी ।यद्यपि शिकायत याचिका में निहित आरोप एक नागरिक विवाद का खुलासा कर सकते हैं, लेकिन यह अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के उद्देश्य से, उच्च न्यायालयों को इस बात पर भी विचार करना आवश्यक है कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत याचिका में लगाए गए आरोप अभियुक्त के खिलाफ कथित अपराधों के तत्वों को पूरा करते हैं।

15. निर्विवाद रूप से, यह सवाल कि क्या शिकायतकर्ता दिनांकित 21. 2. 1973 समझौते के संदर्भ में अधिक राशि के कमीशन का हकदार था, अनिवार्य रूप से एक नागरिक विवाद है ।उक्त समझौते के संदर्भ में शिकायतकर्ता को न केवल अभियुक्त द्वारा रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार था, बल्कि उसका लेखा- परीक्षण कराने का भी अधिकार था ।इसलिए, यह अभिनिर्धारित करना कठिन है, जैसा कि जांच अधिकारी द्वारा उचित रूप से कहा गया है कि उस आधार पर अभियुक्त पर आपराधिक दायित्व अधिरोपित करने का मामला बनाया गया है ।ऐसा कहते हुए, हम दंड प्रक्रिया संहिता की अनुभाग 482 के तहत अदालत की शक्ति की सीमाओं से बेखबर नहीं हैं, जो मुख्य रूप से किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए है ।उस

स्तर पर अदालत शुरू नहीं करेगी! साक्ष्य की प्रशंसा ।इसके अलावा न्यायालय समग्र रूप से अभिलेख पर सामग्री पर विचार करेगा। कमलादेवी अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. एंड वगैरा 4 में, यह न्यायालय राय दीः

3 2009 (3) आरसीआर (सीआरएल) 717

"7. इस न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रारंभिक चरण में कार्यवाही को रद्द करने की पुनरीक्षण या अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए और केवल वहीं जहां शिकायत या प्राथमिकी आर. में लगाए गए आरोप, भले ही इसे अंकित मूल्य पर लिया जाए और पूरी तरह से स्वीकार किया जाए, प्रथमदृष्टया किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं ।विवादित और विवादास्पद तथ्यों को अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि उच्च न्यायालय को प्रारंभिक चरण में कार्यवाही में हस्तक्षेप करने में धीमी गति से काम करना चाहिए और केवल इसलिए कि विवाद की प्रकृति मुख्य रूप से नागरिक प्रकृति की है, आपराधिक अभियोजन को रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि जालसाजी और धोखाधड़ी के मामलों में हमेशा नागरिक प्रकृति का कुछ तत्व होगा।

इस अदालत ने बी. सुरोश यादव बनाम शरीफा बी वगैरा 5 में निम्नानुसार राय दी

"13. धोखाधड़ी के अपराध को स्थापित करने के उद्देश्य से, शिकायतकर्ता को यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि आरोपी का वादा या अभ्यावेदन करते समय धोखाधड़ी या बेईमान इरादा था ।इस प्रकार के मामले में, किसी लंबित दीवानी मुकदमे में किसी पक्ष द्वारा लिए गए रुख पर विचार करना कानूनी रूप से अनुज्ञेय है ।हालाँकि, हमारा मतलब एक कानून निर्धारित करना नहीं है कि किसी व्यक्ति का दायित्व एक ही समय में दीवानी और आपराधिक दोनों नहीं हो सकता है ।लेकिन जब एक शिकायत याचिका में एक रुख लिया गया है जो एक दीवानी मुकदमे में उसके द्वारा मुकदमा गए रुख के विपरीत या असंगत है, तो यह महत्व रखता है ।यदि हमारे समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किया गया होता कि अपीलकर्ता ने बिक्री विलेख के निष्पादन के समय उक्त दो कमरों को ध्वस्त कर दिया था और उक्त तथ्य को छिपा दिया था, तो मामला अलग हो सकता था ।चूंकि बिक्री विलेख 30. 9. 2005 पर निष्पादित किया गया था और कथित विध्वंस पर हुआ था! 29. 9. 2005, यह उम्मीद की गई थी कि शिकायतकर्ता/ प्रथम प्रतिवादी उपरोक्त मुकदमे में उसके द्वारा दायर लिखित बयान में अपनी वास्तविक शिकायत के साथ सामने आएगी ।उन्होंने, सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना।

4 2001 (4) आर. सी. आर (सी. आर. एल.) 522:[(2002) 1 एससीसी 555]

5 2007 (4) आरसीआर (सीआरएल) 870:2007 (6) आरएजे 46: [(2007) 13 एस. सी. सी. 107]

हाल ही में आर. कल्याणी बनाम जनक सी. मेहता और 6 में, यह न्यायालय कानून को निम्नलिखित शर्तों में निर्धारित किया गयाः" 9. उक्त निर्णयों से उत्पन्न होने वाले कानून के प्रस्ताव इस प्रकार हैंः

(1) उच्च न्यायालय आम तौर पर किसी आपराधिक कार्यवाही और विशेष रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए अपने निहित अधिकार क्षेत्र क्षेत्र का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसमें निहित आरोप, भले ही अंकित

मूल्य दिए गए हों और पूरी तरह से सही माने गए हों, किसी भी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते ।(2) उक्त उद्देश्य के लिए, न्यायालय, बहुत ही असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, बचाव पक्ष द्वारा भरोसा किए गए किसी भी दस्तावेज को नहीं देखेगा।

(3) इस तरह की शक्ति का प्रयोग बहुत संयम से किया जाना चाहिए। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप किसी अपराध के होने का खुलासा करते हैं, तो अदालत उससे आगे नहीं बढ़ेगी और आरोपी के पक्ष में किसी भी पुरुष कारण या दुराचार अनुपस्थिति में को रोकने का आदेश पारित करेगी।

(4) यदि आरोप एक दीवानी विवाद का खुलासा करता है, तो यह अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

10. इसके अलावा यह सर्वविदित है कि कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।प्रत्येक मामले पर उसके गुण- दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।न्यायालय, अपनी निहित अधिकार क्षेत्रिता का प्रयोग करते हुए, हालांकि उस उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक वास्तविक शिकायत में हस्तक्षेप नहीं करेगा जिसके लिए संसद द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 और 483 के प्रावधान पेश किए गए थे, लेकिन उपयुक्त मामलों में अपनी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा।उच्च न्यायालयों के सर्वोच्च कर्तव्यों में से एक यह देखना है कि एक व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से निर्दोष है, उसे झूठी और पूरी तरह से असमर्थनीय शिकायत के आधार पर उत्पीड़न और अपमान के अधीन नहीं किया जाता है।

6 (2008 (14) स्केल 85)

(20) उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कानून अच्छी तरह से तय है कि केवल इसलिए कि किसी विवाद में नागरिक निहितार्थ भी हैं, यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की अनुभाग के अन्तर्गत 482 के तहत शक्ति का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

(21) कि यह विवाद का विषय नहीं है कि मामले में जांच पूरी नहीं हुई है और अभी भी लंबित है।जबकि शिकायतकर्ता- प्रतिवादी संख्या 2 का आरोप इस आशय का है कि याचिकाकर्ता ने उप- पंजीयक के कार्यालय के अधिकारियों के साथ मिलीभगत की है और पूरक समझौते के दूसरे पृष्ठ को बदल दिया है और शिकायतकर्ता- प्रतिवादी संख्या 2 के जाली हस्ताक्षर भी किए हैं, याचिकाकर्ता का जोर इस प्रभाव पर है कि एक पंजीकृत दस्तावेज को इसकी वैधता के संबंध में वरीयता दी जानी चाहिए और इसलिए, प्रतिवादी- शिकायतकर्ता के आरोपों की अवहेलना की जानी चाहिए।

(22) उक्त तर्क अनिवार्य रूप से न्यायालय से शिकायत की संपूर्णता में आरोपों की अवहेलना करने और बचाव पक्ष को प्रतिग्रहण करना करने का आह्वान करता है।बचाव पक्ष के बयान के संभावित मूल्य या शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में सवाल की अदालत द्वारा अनुभाग के अन्तर्गत 482 दंड प्रकिया संहिता के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जांच नहीं की जा सकती है।दोनों संस्करणों में से कौन सा अधिक संभावित संस्करण है, यह साक्ष्य की जांच का विषय है और उच्च न्यायालय द्वारा अनुभाग के अन्तर्गत 482 दंड प्रकिया संहिता के तहत इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। पी. सी. किसी दस्तावेज के पंजीकृत होने के कारण साक्ष्य में उसकी स्वीकार्यता प्रत्यर्थी- शिकायतकर्ता के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।याचिकाकर्ता द्वारा जिन संभावनाओं पर भरोसा किया

गया है, वे एक संभावित बचाव हैं, हालाँकि, शिकायतकर्ता के आरोपों की अवहेलना करने के लिए इसे एक सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि उस स्तर पर भी जहां मामला अभी भी जांच के दायरे में है।

(23) अनुभाग के अन्तर्गत 482 दंड प्रकिया संहिता के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के उद्देश्य से, न्यायालय को यह दिखाया जाना चाहिए कि आरोप, भले ही पूरी तरह से स्वीकार किए गए हों, एक आपराधिक मामला नहीं बनाते हैं। जहाँ याचिकाकर्ता किसी न्यायालय से संस्करण में लगाए गए आरोपों के संभावित मूल्य को बचाव के रूप में तौलने का आग्रह करता है, वही तथ्य के प्रश्न में विवाद का पता लगाने में एक अभ्यास होगा।उच्च न्यायालय, अनुभाग के अन्तर्गत 482 दंड प्रकिया संहिता के तहत अपनी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, सामान्य रूप से उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा और संबंधित संस्करणों की शुद्धता का पता लगाने का बोझ अपने ऊपर नहीं लेगा प्रस्तावित संभावनाओं के आधार पर जांच का पूर्व निर्णय करेगा। संबंधित पक्ष अनुभाग के अन्तर्गत 482 दंड प्रकिया संहिता के तहत इस तरह का अभ्यास न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। जांच एजेंसी द्वारा दोनों में से किसी भी संस्करण की शुद्धता का निर्धारण किया जाना बाकी है।जाँच की गति, या जाँच में कमियों या जाँच के निर्देश के खिलाफ याचिकाकर्ता की आपत्तियाँ एक अदालत के लिए जाँच की प्रक्रिया के दौरान ही प्रथम सूचना रिपोर्ट और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य सभी कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने में इस तरह की अनुचित जल्दबाजी में बहुत अधिक नुकसान करने की अधिक संभावना होती है और यह अदालत को किसी मामले पर पूर्व- परिपक्व रूप से राय देने के लिए लुभाती है जब जांच अभी तक समाप्त नहीं हुई है।यह पता लगाना उच्च न्यायालय का काम नहीं है कि जाँच एजेंसी द्वारा अपनी जाँच के दौरान कौन से सबूत एकत्र किए जा सकते हैं या एकत्र किए जाने चाहिए।अपराध किया गया है या नहीं और ऐसी प्रकृति के मामले में अनुभाग के अन्तर्गत 482 दंड प्रकिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना है या नहीं, यह जांच पूरी होने के बाद ही देखा जा सकता है और अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए मांगे गए पूरे साक्ष्य/ सामग्री को एकत्र किया जाता है और अनुभाग 173 दंड प्रकिया संहिता के तहत एक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में दायर किया जाता है।

(24) माननीय उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल और अन्य 7 के रूप में झुकाए गए मामले में निम्नलिखित सिद्धांतों/ दिशानिर्देशों को निर्धारित किया था ताकि एक प्राथमिकी और उससे उत्पन्न होने वाली आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अनुभाग के अन्तर्गत 482 दंड प्रकिया संहिता के तहत शक्तियों का प्रयोग किया जा सके। उक्त दिशा- निर्देश निम्नानुसार निकाले गए हैं:

> 107. अध्याय 14 के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की अनुभाग के अन्तर्गत 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायाधीशालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की व्याख्या की पृष्ठभूमि में, हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को उदाहरण के रूप में देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी न्यायाधीशालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्यायाधीश के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से निर्देशित

और कठोर दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

1. जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए ग! आरोप भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाए, प्रथमदृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

7 ए. आई. आर 1992 एस. सी. 604

2. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सामग्रियों में आरोप, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की खंड 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की खंड 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

3. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

4. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर- संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की अनुभाग के अर्न्तगत 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।

5. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने हास्यास्पद तर्क और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिसके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

6. जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही को जारी रखने और/ या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, वहां एक स्पष्ट कानूनी बाधा है।पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करना।

7. जहाँ किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/ या जहाँ कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।

108. हम इस प्रभाव पर भी ध्यान दें बरतते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति होनी चाहिए। बहुत संयम से और सावधानी के साथ और वह भी दुर्लभतम मामलों में; कि न्यायालय एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के बारे में जांच शुरू करने में न्यायोचित नहीं होगा और असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं।

(25) उपरोक्त सिद्धांतों/ दिशानिर्देशों के अवलोकन से यह स्थापित होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों को इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने के लिए केवल इस बात से संतुष्ट होने पर प्रभावित करता है कि इस तरह से दर्ज की गई प्राथमिकी या इस तरह से शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही उक्त श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत आती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के अवलोकन और जांच एजेंसी द्वारा दायर प्रतिक्रिया पर विचार करने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता अपने मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उक्त श्रेणियों में से किसी एक के तहत लाने में समर्थ रहा है।केवल यह आरोप कि आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत याचिकाकर्ता पर दबाव बनाने की तीव्र इच्छा से होती है, पूरी तरह से स्थापित नहीं होगा।उद्देश्य की इस तरह की दलील को सावधानी और अधिक सावधानी के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक दोधारी तलवार है।

(26) क्या आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत लालच से या शिकायतकर्ता या अभियुक्त द्वारा द्वेष से की जाती है, यह बचाव में प्रस्तावित किए जाने वाले दस्तावेजों के बल पर और जब ऐसा दस्तावेज स्वयं विवाद में होता है, तो निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।न्यायालय को संबंधित दस्तावेजों के संभावित मूल्य की जांच करने और दूसरे की तुलना में एक संस्करण को त्यागते हुए निष्कर्ष दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की कवायद आमतौर पर उच्च न्यायालय द्वारा अनुभाग के अर्न्तगत 482 दंड प्रकिया संहिता के तहत नहीं की जानी चाहिए. विशेष रूप से तब जब आरोपों की अभी भी जांच चल रही है और अभी तक निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया गया है।

(27) जहाँ तक पेड़ों की गुप्त कटाई के दायित्व का संबंध है, याचिकाकर्ता का यह निवेदन कि विवाद में भूमि पर खड़े पेड़ों का कोई प्रमाण नहीं है, फिर से तथ्य का एक विवादित प्रश्न है।अभियोजन पक्ष के संस्करण के ऊपर और ऊपर एक संस्करण को शुरुआत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब मामले में जांच अभी तक समाप्त नहीं हुई है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए तत्काल याचिकाओं को इस स्तर पर खारिज कर दिया जाता है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरणः- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्येश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Translator (भाषा अनुवादक)

मनजीत सिंह ढिल्लो

माननीय न्यायालय श्री जगदीप सिंह अतिरिक्त जिला स्तर न्यायधीश, यमुनानगर (जगाधरी)